संख्या-255/2017/1763/22-2-2016-17(430)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोहन पुत्र श्री गुलाब, निवासी जनपद-ललितपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34885/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-05-09-2016 दिनांक 26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, ललितपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोहन पुत्र श्री गुलाब, निवासी ग्राम-बिरथा, थाना-तालबेहट हाल थाना पूराकलां, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 26-08-1986 को बन्दी ने अपने 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम, कुल्हाडी व लाठियों से 02 व्यक्तियों की हत्या तथा 03 अन्य को घायल कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 307, 302, 323 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दिनांक 31-05-1988 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-12-1988 को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.03.2016 तक 28 वर्ष 01 माह 25 दिन की अपरिहार एवं 37 वर्ष 04 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 55 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध का अवसर होने एवं जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सोहन (बन्दी संख्या-6615) पुत्र श्री सोहन, निवासी-जनपद-ललितपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-255/2017/1763/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in